मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—::—

कमांक 1034/आर 1133/चार/ब–1/09 भोपाल, दिनांक 09/10/2009

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग/लोक निर्माण विभाग/
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग/ नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल।

विषयः— सक्षम वित्त समितियों एवं बजट अनुमानों की चर्चा में नवीन कार्यो से संबंधित प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।

—::—

प्रदेश के अधोसंरचनात्मक ढॉचे के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण कार्यो के लिए पूँजी का सतत प्रवाह बना रहे । यह अनुभव किया गया है कि निर्माण विभागों द्वारा नवीन कार्यों को प्रतीक प्रावधान के रूप में बजट में सम्मिलित तो कर लिया जाता है, किन्तु राशि की समुचित उपलब्धता के अभाव एवं योजना संचालन में कमी के कारण इन कार्यों को विभाग प्रारंभ नहीं कर पाता है । कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि सांकेतिक राशि से नवीन मद के रूप में सम्मिलित कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निविदायें आमंत्रित कर ली जाती हैं, परन्तु वांछित राशि की उपलब्धता न होने से या तो कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाते हैं या फिर कार्य प्रारंभ होकर रूक जाते हैं। इन स्थितियों मे कार्य की निरन्तरता नहीं रह पाती है। इससे कार्य पूर्ण न होने से प्राप्त होने वाले लाभ भी राज्य को नहीं मिल पाते हैं। परिणामतः निविदा आमंत्रित करने एवं कार्य पर किया गया व्यय निरर्थक हो जाता है एवं समय के साथ कार्य की लागत में (Cost overrun/Time overrun) वृद्धि भी होती रहती है। ऐसी स्थिति में विभाग को पुनरीक्षित लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम समिति के समक्ष पुनः प्रस्ताव लाने पड़ते है। जो कि दोषपूर्ण कार्यप्रणाली का द्योतक है।

2/ उपरोक्त अनियमित कार्यप्रणाली को रोकने एवं सार्वजनिक निधि के कार्यकुशल उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि विभाग अपने वर्तमान कार्यो (जिनकी लागत रूपये 5 करोड़ या अधिक है) के लिए वर्षवार आवश्यक धनराशि का आंकलन करें एवं निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता होने पर ही नवीन कार्यो को बजट में लिये जाने, निविदा बुलाने आदि जैसी कार्यवाही करें । आगामी बजट में धनराशि की व्यवस्था के पूर्वानुमान के लिए कृपया संलग्न प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें । सक्षम वित्तीय समिति की बैठक में भी इस पत्रक को अवश्य ही विचार हेतु रखा जाये

(जी0पी0 सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

C:\Documents and Settings\lenovo\Desktop\Nathaniji\A letter.odt

पृ0क्रमांक 1035/आर 1133/चार/ब–1/09   भोपाल, दिनांक 09/10/2009

प्रतिलिपिः–

सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग म0प्र0 भोपाल ।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रपत्र अ

चालू कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि का आंकलन पत्रक (दिनांक –/–/– की स्थिति में)

स. क.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक एवं राशि	बजट में सम्मिलित होने का वर्ष	निविदा आमंत्रित करने का दिनांक	निविदा की राशि	निविदा अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	दिनांक 31.03.09 तक व्यय की स्थिति	वर्ष 2009–10 के बजट प्रावधान	आगामी पॉच वर्षो मे राशि की आवश्यकता					अभियुक्ति
									10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11)

प्रपत्र ब

नवीन अनुमोदित कार्यों के लिये वर्षवार आवश्यक धनराशि का आंकलन

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक एवं वर्ष	बजट में सम्मिलित होने का वर्ष	वर्ष 09-10 में प्रावधान	आगामी 5 वर्षों में आवश्यकता					कुल
					10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					